प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.11.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घर से चोरी किया हुआ इलेक्ट्रिक सामान बरामद।

दिनांक 18.11.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी की प्राप्त तहरीर कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के जैन कॉलोनी स्थित बंद पड़े मकान से इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-305A/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 18.11.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त नवजीत सिंह पुत्र महेन्द्र निवासी जैन कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घर से चोरी किया हुआ इलेक्ट्रिक सामान 01 सीलिंग फैन, 05 छोटे-बडे इलेक्ट्रिक बोर्ड, 08 इलेक्ट्रिक लाइटें, 01 गीजर, 01 रसोई चिमनी व वायरिंग से निकले इलेक्ट्रिक तार बरामद। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं करावल नगर, दिल्ली में इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। मैं पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका हूँ। मैं मूल रूप से जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ। मुझे नशा करने का शौक है। उपरोक्त इलेक्ट्रिक सामान को मैंने जैन कालोनी में एक घर से चोरी कर छिपा दिया था। मैं इस इलेक्ट्रिक सामान को बेचने की फिराक में था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नवजीत सिंह पुत्र महेन्द्र निवासी जैन कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर, उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किया हुआ इलेक्ट्रिक सामान- 01 सीलिंग फैन, 05 छोटे बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड, 08 इलेक्ट्रिक लाइटें, 01 गीजर, 01 रसोई चिमनी व वायरिंग से निकले इलेक्ट्रिक तार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.11.2026 को थाना खोड़ा, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376 भादवि व धारा 5 एल/6 पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त ब्रहमानन्द पुत्र सुक्कू निवासी थाना खोड़ा गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 01 गाजियाबाद द्वारा धारा- 376(2) भादवि में आजीवन कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना खोड़ा गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री हरीश कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर दिनांक 06.07.2019 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

		
श्री हरीश कुमार विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**आरक्षी प्रताप सिंह** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 श्यामवीर सिंह** पैरोकार थाना खोड़ा